## गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय

गुटनिरपेक्षता तीसरी दुनिया की सामूहिक आवाज है। यह विश्व को लोकतांत्रिक बनाने की साझी माँग है। यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं रंग-भेदनीति को समाप्त करने का सामूहिक आंदोलन है। यह विश्व में एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण की माँग है जिसमें संप्रभुता, स्वतंत्रता और राज्यों के मध्य समानता के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन होगा।

विगत 300 वर्षों की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्यों का केन्द्रीय महत्व बना रहा और महाशक्तियों के द्वारा अशक्त राज्यों पर विभिन्न प्रकार से प्रभुत्व स्थापित किया गया जिसे कभी pax britanica तो कभी pax americana और pax sovietica के आधार पर संचालित किया गया। प्रो० एम० एस० राजन के अनुसार गुटनिरपेक्षता का आशय "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का लोकतांत्रीकरण" है। यह राज्यों का वह अधिकार है जिसके द्वारा वे स्वतंत्रता बनाए रखते हैं, विकास को प्राथमिकता देते हैं और गुटीय राजनीति से स्वयं को अलग रखते हैं।

5.10.09

गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन करना है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सदैव निरंकुशता के आधार पर संचालित हुई। प्रो० एम. एस० राजन के अनुसार विश्व राजनीति का पहला चरण साम्राज्यता

का काल माना गया; दूसरे चरण में राष्ट्रवाद प्रभावी हुआ और तीसरा चरण में वैचारिक संघर्ष प्रभावी था। परन्तु विश्व में शक्ति राजनीति का प्रभाव सदैव बना रहा।

यह सत्य है कि सभी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने स्वतंत्र और स्वायत्त नीतियों का प्रयोग नहीं किया। उदाहरण के लिए मिस्र और पाकिस्तान अमरीका के सामरिक गठबंधन के सदस्य बन गए, सऊदी अरब और वियतनाम ने अपनी भूमि पर महाशक्तियों के सैनिक अड्डों का निर्माण करवाया जबकि दूसरी ओर सिंगापुर, श्रीलंका और सुकर्णो के पश्चात् इण्डोनेशिया मले जैसे राज्य भी महाशक्तियों के साथ सैन्य रूप में बंध गया।

गुटनिरपेक्षता का आशय स्वतंत्र और स्वायत्त विदेशनीति का निर्माण, विश्व को शांतिपूर्ण बनाने का आन्दोलन और विश्व को गुटों से मुक्त करने का आन्दोलन है। गुटनिरपेक्षता का आशय विश्व के प्रत्येक मुद्दों पर उसके गुण और अवगुण के आधार पर सक्रिय सहभागिता है। अतः गुटनिरपेक्षता तटस्थता और अलगाववाद से भिन्न है।

गुटनिरपेक्ष राज्यों के मध्य विद्यमान भिन्नताओं से इसका महत्व कम नहीं होता क्योंकि इसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण लोकतंत्र की स्थापना करना है।

1961 के गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सदस्यों को सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित मानकों का निर्माण किया गया —

1. सैन्य संगठनों का सदस्य न होना
2. सदस्य राष्ट्रों की भूमि पर विदेशी सैनिक अड्डों का न होना
3. महाशक्तियों के साथ द्विपक्षीय सैन्य संधि का अभाव
4. स्वतंत्र और स्वायत्त विदेशनीति
5. उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध

---

## गुटनिरपेक्षता : आन्दोलन बनाम संस्थाकरण

गुटनिरपेक्षता मूलतः एक आंदोलन था जिसका उद्देश्य विश्व राजनीति को शक्ति संतुलन के बजाय न्याय और समता के आधार पर निर्मित करने का प्रयत्न किया गया। 1973 के अल्जीयर्स सम्मेलन में एक समन्वयकारी ब्यूरो की स्थापना हुई जिसके द्वारा इस आंदोलन को संस्थागत करने का प्रयत्न किया गया। 1976 के कोलंबो सम्मेलन में इसे और प्रभावी बनाने का प्रयत्न किया गया। इसबमन्वकारी ब्यूरो का कार्य निम्नलिखित था —

* संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संयुक्त गतिविधियों में समन्वय
* किसी अन्तर्राष्ट्रीय संकटपूर्ण स्थिति पर विचार विमर्श करना

* 1973 के अल्जीयर्स सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्षता के स्थायी सचिवालय बनाने पर विचार विमर्श हुआ परन्तु गुटनिरपेक्षता का संस्थाकरण नहीं हो सका और मूलतः आंदोलन ही बना रहा। इस आंदोलन के द्वारा कई संस्थाओं को जन्म दिया गया। —

* G-77
जी-77 के द्वारा **UNCTAD** का निर्माण हुआ।

* सूचना के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद् का निर्माण

* सूचना के लिए नई अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था की मांग

## पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार गुटनिरपेक्षता

पाश्चात्य विचारकों के अनुसार गुटनिरपेक्षता थोथी विचारधारा है यह अवसरवादी विचारधारा है जिसमें प्रत्येक राज्य अवसरवादी नीतियों का प्रयोग अपने हितों में वृद्धि के लिए करते हैं। जॉन फॉस्टर डलेस के ~~अनुसार~~ अनुसार शीतयुद्ध के वैचारिक ध्रुवीकरण के युग में गुटनिरपेक्षता की संकल्पना निरर्थक है। अनेक पाश्चात्य विचारकों ने गुटनिरपेक्षता को तटस्थता के रूप में परिभाषित किया कुछ अमेरिकी विचारकों ने इसे सोवियत संघ के खेमे का विस्तार कहा। इसीलिए पाश्चात्य विचाकों ने आरंभ से ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए। इन विचाकों ने शीतयुद्ध में देतान्त के समय भी गुटनिरपेक्षता को अप्रासंगिक कहा और जब शीतयुद्ध की समाप्ति / सोवियत विखंडन तो स्वाभाविक रूप में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े किए गए।

## गुटनिरपेक्षता का विकास

### पहला चरण

1961 से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई जिसकी स्थापना मुख्यतया भारत, मिस्र, युगोस्लाविया और इण्डोनेशिया द्वारा हुई। युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने पहले सम्मेलन में कहा कि गुटनिरपेक्षता का आशय स्वतंत्र विकास का अधिकार है, अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर समान रूप में भागीदारी करने की माँग है और इन राज्यों ने शीतयुद्ध की विश्व राजनीति में स्वतंत्र और स्वायत्त विदेशनीति और संयुक्त राष्ट्रसंघ को प्रभावशाली करने की माँग उठायी क्योंकि अभी भी दुनिया के अनेक भागों में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवादी व्यवस्था बनी हुई थी। पहले चरण के बेलग्रेड, काहिरा (1964), लुसाका (1970) बैठकों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा निम्नलिखित माँगें उठायी गईं —

1. साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध
2. द० अफ्रीका से रंगभेद नीति की समाप्ति
3. फिलीस्तीनी राज्य की स्थापना
4. निःशस्त्रीकरण
5. अफ्रीकी महाद्वीप से साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को पूर्णतः समाप्त करना

इन सम्मेलनों के दौरान गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि हुई और इन्होंने संयुक्त राष्ट्रसंघ के मंच से अपनी सामूहिक आवाज उठायी। अतः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व बढ़ने लगा और संख्यात्मक वृद्धि के अलावा गुणात्मक रूप में भी इनकी माँगें प्रभावी हुईं। '70 का दशक विकासशील देशों के लिए अत्यधिक चुनौतीपूर्ण सिद्ध हुआ और विकासशील देशों के

समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ उत्पन्न हुई -

1. विश्व व्यापार में व्यापार की शर्तें विकासशील देशों के प्रतिकूल थी।
2. 1974 के Multifibre Agreement द्वारा (10) यूरोपीय देशों ने विकासशील देशों के कपड़ों के निर्यात पर अपने बाजारों में प्रतिबंध लगा दिया।
3. विकासशील देश ऋण के दुष्चक्र में उलझ गए

अतः विकासशील देशों को यह प्रतीत होने लगा कि वर्तमान विश्व आर्थिक प्रणाली के अन्तर्गत उनका विकास संभव नहीं है और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का प्रयोग नए रूप में किया जा रहा है। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में उनकी राजनैतिक स्वतंत्रता आंशिक और अधूरी है। इसी सन्दर्भ में गुटनिरपेक्षता के द्वितीय चरण का विकास हुआ।

द्वितीय चरण :
नवीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की माँग

1973 के अल्जीयर्स सम्मेलन के मंच से गुट-निरपेक्ष आंदोलन में आर्थिक मुद्दों को प्राथमिकता प्रदान किया गया क्योंकि तीसरी दुनिया के देशों को ऐसा प्रतीत हुआ कि समूची आर्थिक व्यवस्था पर विकसित देशों का समर्थन है और वे इसका प्रयोग अपने हितों के लिए कर रहे हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण विकासशील देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से 1974 में नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की माँग उठायी। जिसके मूल मुद्दे निम्नलिखित थे —

1. तीसरी दुनिया के देशों के ऋण के बोझ को कम करना
2. विकासशील देशों का उनके प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व स्वीकार करना
3. बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण
4. ब्रेटेनवुड्स आर्थिक प्रणाली में सुधार की मांग
5. तकनीकी हस्तांतरण

इसके पश्चात् 1976 के कोलम्बो सम्मेलन 1979 के हवाना सम्मेलन एवं 1983 के नई दिल्ली सम्मेलन तथा 1986 के हरारे सम्मेलन में भी नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की माँग को प्रभावी रूप में उठाया गया। नई दिल्ली सम्मेलन में उत्तर-दक्षिण संवाद पर बल दिया गया और यह स्पष्ट कहा गया कि पूरे विश्व पर एक छोटे से विशेषाधिकारी समूह का अधिकार नहीं हो सकता चाहे वे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हों। नई दिल्ली सम्मेलन में यह भी कहा गया कि विश्व व्यवस्था का निर्माण राज्यों की स्वतंत्रता, सम्प्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, न्याय और सहयोग पर आधारित होना चाहिए। विश्व एक है और इस विश्व को राजनीतिक, आर्थिक या वैचारिक ~~खेमों~~ गुटों में विभाजित नहीं किया जा सकता। सम्मेलन में सभी प्रकार के आधिपत्य और शोषण की सभी रूपों की ~~अभिव्यक्ति~~ विरोध किया गया। इसके अतिरिक्त इसमें ईरान-इराक संघर्ष, सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप और नामीबिया की स्वतंत्रता जैसे मुद्दे भी उठाए गए।

हरारे सम्मेलन में अफ्रीका के विकास के लिए अफ्रीकी कोष के गठन का निर्णय लिया गया और कोलम्बो सम्मेलन में दक्षिण - दक्षिण सहयोग को प्रभावी बनाने पर बल दिया गया।

## नई अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था की माँग

गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने सभी राष्ट्रों के मध्य समान सूचना एवं संचार को बेहतर करने के लिए नई अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था की माँग उठायी। नव उपनिवेशवादी विरासत के कारण विकासशील राज्यों के पास सूचना एवं संचार के साधनों का अभाव था और इस नई सूचना व्यवस्था के माध्यम से साम्राज्यवादी व्यवस्था के विघटन के समर्थक थे। नई सूचना व्यवस्था विकासशील देशों के आपसी सहयोग के लिए आवश्यक है। 1976 में नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सूचना मंत्रियों की बैठक हुई जिसमें यह कहा गया कि नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के समान नई सूचना व्यवस्था का निर्माण भी आवश्यक है। हवाना सम्मेलन में भी इस पर महत्वपूर्ण बल दिया गया।

## हवाना (क्यूबा) सम्मेलन - 1979

## प्राकृतिक मित्र का सिद्धान्त

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वितीय चरण में आर्थिक मुद्दे प्राथमिक हो गए, राजनीतिक मुद्दे भी बने रहे और फिदेल कास्त्रो ने 1979 के सम्मेलन में साम्यवादी सोवियत संघ को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्वाभाविक मित्र कहा क्योंकि सोवियत संघ और विकासशील देशों दोनों साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं, यह बिन्दु ध्यान देने योग्य है कि सोवियत संघ की

विदेशनीति में विकासशील देशों की मुक्ति आंदोलन को प्रोत्साहित किया गया एवं सोवियत संघ ने सदैव गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थन किया परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन सोवियत गुट का विस्तार है। क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मूल उद्देश्य गुटविहीन विश्व का निर्माण करना था इसलिए भारत ने क्यूबा के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। और इन्दिरा गाँधी, जूलियस नेरेरे जैसे लोगों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाया।

तीसरा चरण : प्रासंगिकता